भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2122

उत्तर देने की तारीख 02.12.2019

शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देना

2122. श्री बसंत कुमार पांडा:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या जनगणना-2011 के अनुसार 4,49,456 की जनजातीय आबादी वाले मेरे निर्वाचन क्षेत्र में शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो योजनाओं के ब्यौरे सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मंत्रालय की योजना के माध्यम से ओडिशा में विगत पांच वर्षों के दौरान लाभान्वित हुए आदिवासी लोगों की संख्या कितनी है ?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्रीमती रेणुका सिंह सरुता)

(क) से (ग): सरकार ने ओडिशा सहित देश भर में रहने वाले जनजातीय लोगों के समग्र विकास के लिए एक बहु-आयामी रणनीति अपनाई है , जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल आपूर्ति, कौशल विकास, आजीविका आदि हेतु समर्थन शामिल है। देश में जनजातीय क्षेत्रों / प्रांतों में अवसंरचना विकास का प्रमुख हिस्सा और बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान को केंद्रीय मंत्रालयों और संबंधित राज्य सरकारों की विभिन्न स्कीमों / कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है, जबकि जनजातीय कार्य मंत्रालय महत्वपूर्ण अंतरों को पाटने के लिए इन पहलों को योज्य उपलब्ध कराता है। इस मंत्रालय द्वारा , ओडिशा सहित, देश में कार्यान्वित की जा रही स्कीमों/ कार्यक्रमों का विवरण **अनुलग्नक- I** पर है। कम साक्षरता वाले जिलों में 'अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा के सुदृढ़ीकरण ' विशेष रूप से देश के चिन्हित 54 जिलों के लिए हैं, जिनमें से 12 जिले ओडिशा में हैं , जिनमें कालाहांडी जिला भी शामिल है। पिछले 5 वर्षों के दौरान ओडिशा राज्य सरकार को योजना-वार निर्मुक्त निधियों और उसमें कहीं भी उपलब्ध लाभार्थियों की संख्या **अनुलग्नक- II** में है।

अनुलग्नक-I

'शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देना ' के संबंध में श्री बसंत कुमार पांडा द्वारा दिनांक 02.12.2019 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2122 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्कीमों/कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण

(i) संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान:

यह भारत सरकार से 100% अनुदान है। इस कार्यक्रम के तहत वित्त पोषण राज्यों को किसी राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने या उस राज्य के बाकी क्षेत्रों के प्रशासन के समान अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य द्वारा विकास की ऐसी योजनाओं की लागत को पूरा करने के लिए राज्य को सक्षम बनाना है। सरकार ने देश भर में जनजातीय लोगों के समग्र विकास के लिए एक बहु-आयामी रणनीति अपनाई है , जिसमें विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं (i) शिक्षा (ii) स्वास्थ्य (iii) कृषि, बागवानी, पशुपालन (एएच), मत्स्य पालन, डेयरी और अन्य प्राथमिक क्षेत्र में (iv) आदिवासी घरेलू अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए अन्य आय पैदा करने वाली योजनाएँ और (v) प्रशासनिक संरचना / संस्थान उपलब्ध नहीं, ढांचा और अनुसंधान अध्ययन।

(ii) एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) :

सुदूर क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (अजजा) के विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक मिडिल और उच्च-स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, विशेष रूप से अजजा बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 1997-98 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) की योजना शुरू की गई थी , ताकि उन्हें उच्च और व्यावसायिक शैक्षिक पाठ्यक्रमों में आरक्षण का लाभ उठाने और सरकारी एवं सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। ईएमआरएसके महत्व को समझते हुए, वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में, सरकार ने घोषणा की कि "सरकार जनजातीय बच्चों को उनके वातावरण में सर्वोत्तम गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मिशन को सफल बनाने के लिए , यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2022 तक, 50% से अधिक अजजा आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय होगा। एकलव्य विद्यालय नवोदय विद्यालयों के समतुल्य होंगे और खेल-कूद और इसमे कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष सुविधाएं होंगी।

यह अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान का एक घटक था। 2018-19 के दौरान, एक अलग योजना पेश की गई थी। पूर्वोक्त बजट घोषणा के संदर्भ में , आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 17.12.18 को आयोजित अपनी बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ ईएमआरएस योजना के पुन: निर्धारण को मंजूरी दे दी। 30.10.19 तक देश भर में 438 स्वीकृत स्कूल हैं, जिनमें से 284 स्कूलों को कार्यात्मक बनाया गया है।

(iii) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान: इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की पहुँच को बढ़ाना और स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों के माध्यम से स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सेवा की कमी वाले जनजातीय क्षेत्रों में अंतरो को भरना और और अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के समग्र विकास और सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए एक वातावरण प्रदान करना है।

(iv) <u>कम साक्षरता जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के बीच शिक्षा का सुदृढ़ीकरण:</u> मंत्रालय, देश में 54 चिह्नित जिलों जहां जनगणना 2001 के अनुसार अजजा की जनसंख्या 25% अथवा अधिक है तथा अजजा की महिला साक्षरता दर 35% से निम्न या इसके अंशों में है, में केवल अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के लिए अर्थात 'कम साक्षरता वाले जिलों में अजजा की बालिकाओं में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण' स्कीम कार्यान्वित कर रहा है | यह स्कीम स्वैच्छिक संगठनों / गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है तथा इसका लक्ष्य सामान्य महिला जनसंख्या तथा जनजातीय महिलाओं के बीच साक्षरता स्तरों में अंतर भरते हुए और शिक्षा हेतु आवश्यक वातावरण सृजित करके प्रारम्भिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को घटाते हुए जनजातीय बालिकाओं की साक्षरता दर में बढ़ोत्तरी करना है |

(v) <u>अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति :</u>

उन छात्रों के लिए जो कक्षा IX - X में पढ़ रहे हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। सभी स्रोतों से माता-पिता की आय प्रतिवर्ष रु 2.50 लाख से कम होनी चाहिए। हॉस्टलर्स के लिए रु . 525 / - प्रति माह की छात्रवृत्ति और दिवाछात्र के लिए रु. 225 / - प्रति माह की राशि एक वर्ष में 10 महीने की अवधि के लिए दी जाती है , छात्रवृत्ति का भुगतान प्रतिदिन दिवा स्कॉलर को रु. 225 / - प्रति माह की दर से और छात्रावासियों के लिए रु. 525 / - प्रति माह , एक वर्ष में 10 महीने की अवधि के लिए किया जाता है। छात्रवृत्ति राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से वितरित की जाती है। 2014-15 के बाद से केंद्र और राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों के बीच 75:25 के अनुपात और एनई और विशेष श्रेणी के राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के केंद्र शासित प्रदेशों) के बीच 90:10 के अनुपात में अदा किया जाता है और बिना विधायिका वाले केन्द्र प्रशासित प्रदेश के लिए केंद्र 100% शेयर जारी करता है।

(vi) <u>अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति</u> : उन विद्यार्थियों के लिए लागू है जो मान्यता प्राप्त संस्थानों में किसी मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता मैट्रिकुलेशन / कक्षा 10 अथवा इससे उपर है | माता-पिता की सभी स्रोतों से आय 2.50 लाख रूपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए | शैक्षिक संस्थानों द्वारा लिये जाने वाले अनिवार्य शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है संबंधित राज्य शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन है तथा अध्ययन के पाठ्यक्रम के आधार पर 230 रूपये से 1200 रूपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान किया जाता है | छात्रवृत्ति राज्य सरकार / संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के माध्यम से संवितरित की जाती है। वर्ष 2014-15 से केंद्र तथा राज्य सरकारों / संघ राज्यक्षेत्र प्रशानों के बीच निधियों की हिस्सेदारी 75:25 के अनुपात में है तथा पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों (जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड) के लिए यह अनुपात 90:10 है और बिना विधायिका वाले संघ शासित प्रदेशों के लिए केन्द्र द्वारा शत-प्रतिशत अंश प्रदान किया जाता है।

(vii). विदेश में अध्ययन हेतु अजजा के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्तियां:

यह स्कीम विदेश में स्नातकोत्तर, पीएचडी तथा डाक्टरोत्तर अध्ययन के लिए चयनित विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता का प्रावधान करती है | प्रतिवर्ष कुल 20 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं | इनमें से अजजा के लिए 17 छात्रवृत्तियां तथा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) से संबंधित विद्यार्थियों के लिए 3 छात्रवृत्तियां हैं | माता-पिता / परिवार की सभी स्रोतों से आय 6.00 लाख रूपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए | छात्रवृत्तियों का वितरण विदेश मंत्रालय / विदेश में भारतीय मिशन के माध्यम से किया जाता है |

viii. अजजा के विद्यार्थियों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति तथा छात्रवृत्ति:

(क) उच्चतर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (इससे पूर्व "अजजा के विद्यार्थियों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा" के रूप में ज्ञात) :
छात्रवृत्ति मंत्रालय द्वारा चिन्हित आईआईटी , एआईआईएमएस, आईआईएम, एनआईआईटी आदि देश के 246 उत्कृष्ट संस्थानों में से किसी भी संस्थान में निर्धारित पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए अजजा के विद्यार्थियों को दी जाती है| छात्रवृत्तियों की कुल संख्या 1000 प्रति वर्ष है। सभी स्रोतों से परिवार की आय 6.00 लाख रूपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए | छात्रवृत्ति की राशि में ट्यूशन शुल्क, रहने का खर्च और पुस्तकों तथा कंप्यूटर के लिए भत्ते शामिल हैं।

(ख) अध्येतावृत्ति (इससे पूर्व "अजजा के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति स्कीम" के रूप में ज्ञात) : एमफिल तथा पीएचडी के लिए भारत में उच्चतर अध्ययनों के लिए अजजा के विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 750 अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती है। एमफिल के लिए 25000 रूपये प्रतिमाह की दर से तथा पीएचडी के लिए 28000 रूपये प्रतिमाह की दर से अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती है।

(ix) **जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए): -** यह भारत सरकार से 100% अनुदान है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों (एसटी) की आबादी और अन्य लोगों के बीच समर्थन शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल आपूर्ति, आजीविका, कौशल विकास, लघु अवसंरचना आदि प्रदान करके अंतर को पाटना है।

(x) **विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवटीजी) का विकास :** पीवीटीजी के विकास की योजना में 18 राज्यों राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्रों में अनुसूचित जनजातियों के बीच 75 पहचाने गए पीवीटीजी गतिविधियों के लिए कवर किया गया है। स्कीम के तहत शिक्षा , आवास, भूमि वितरण, भूमि विकास, कृषि विकास, पशुपालन, सम्पर्क सड़कों के निर्माण , प्रकाश व्यवस्था के उद्देश्य से ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोत की स्थापना, सामाजिक सुरक्षा या पीवीटीजी के व्यापक सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अन्य नवीन कार्यकलापों जैसी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्कीम के तहत जनजातियों के शैक्षिक विकास से प्रासंगिक गतिविधियों के लिए भी निधियां प्रदान की जाती हैं।

(xi) जनजातीय उत्पाद/उपज के विपणन और विकास के लिए संस्थागत समर्थन: यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना जो 1992-93 से निरंतर जारी है, जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एक बहु-राज्य सहकारी समिति भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास निगम लिमिटेड (ट्राइफेड) और राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम (एसटीडीसीसी) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों की आजीविका के लिए निर्भर क्रियाकलापों के विपणन और विकास को समर्थन के लिए अनुसूचित जनजातियों हेतु संस्थान निर्मित करना है। ये (i) बाजारी प्रयास (ii) जनजातीय शिल्पकारों, कलाकारों, एमएफपी संग्रहकर्ताओं आदि का प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन, (iii) आरएंडडी/आईपीआर क्रियाकलाप, और (iv) आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना विकास हैं।

(xii) 'न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला के विकास के माध्यम से लघु वन उपज (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र': जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई लघु वन उपज योजना (एमएफपी योजना के लिए एमएसपी) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य। वर्ष 2013-14, आदिवासियों को उचित मूल्य प्रदान करने की दिशा में पहला कदम था। प्रारंभ में, इस योजना में अनुसूची V के क्षेत्रों वाले 9 राज्यों से 10 एमएफपी मदे शामिल थी, बाद में इसे 49 एमएफपी मदों तक विस्तारित किया गया और यह सभी राज्यों में लागू है। यह योजना राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राज्य स्तरीय एजेंसी (एसएलए) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। जनजातीय कार्य मंत्रालय एसएलए को एक परिक्रामी निधि फंड प्रदान करता है। सुरक्षित भंडारण, प्राथमिक प्रसंस्करण और एमएफपी वस्तुओं के मूल्यवर्धन के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए शेयर के अनुपात में केंद्र और राज्यों के बीच भी 75:25 प्रतिशत के अनुपात में निधि प्रदान करता है।
यह योजना संग्रह, प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण, पैकेजिंग, परिवहन आदि में अपने प्रयासों के लिए उचित मौद्रिक रिटर्न सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करना चाहती है। यह लागत कटौती के साथ बिक्री आय से राजस्व का एक हिस्सा प्राप्त करना भी अपेक्षित है। इसका उद्देश्य प्रक्रिया की स्थिरता के लिए अन्य मुद्दों का समाधान करना भी है।
वन धन विकास कार्यक्रम एक पहल है जो जनजातीय जनसंख्या के लिए वन संपत्ति आजीविका की दिशा में लक्षित है, अर्थात वन धन के संवर्धन और विपणन केंद्रों नामता वन धन विकास केंद्र द्वारा कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक चरण में उत्पादन के उन्नयन के लिए प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी को जोड़कर जनजातीय लोगों के पारंपरिक ज्ञान और कौशल में अवस्थित करना है और जनजातीय ज्ञान को एक पारिश्रमिक आर्थिक गतिविधि में बदलना है।
(xiii) राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी/ एसटीएफडीसी) को समर्थन: यह केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसमें निधियां अपने संबंधित अधिकृत अंश पूंजी के समक्ष इक्विटी समर्थन के माध्यम से इस मंत्रालय के अंतर्गत एक सीपीएसई एनएसटीएफडीसी और राज्य जनजातीय वित्त एवं विकास निगम (एसटीएफडीसी) को मंत्रालय द्वारा जारी की जाती हैं।

इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं:- स्व-रोजगार सृजन और अनुसूचित जनजातियों के आय का स्तर बढ़ाने के लिए इनके महत्व की आर्थिक गतिविधियों की पहचान करना ; संस्थागत और रोजगार प्रशिक्षण दोनों के माध्यम से इनके कौशल और प्रक्रिया का उन्नयन करना; अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास में संलगन वर्तमान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एससीए) और अन्य विकास एजेंसियों को अधिक प्रभावी बनाना; परियोजना निर्माण में एससीए की सहायता, एनएसटीएफडीसी सहायता प्राप्त योजनाओं का कार्यान्वयन और अपने कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, तथा; एनएसटीएफडीसी के प्रभाव के आकलन के लिए सहायता प्राप्त योजनाओं के कार्यान्वयन कीनिगरानी करना।

(xiv) जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) और जनजातीय उत्सवों , अनुसंधान सूचना और जन शिक्षा को सहायता : मंत्रालय की इन स्कीमों के तहत जनजातीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने राज्यों में जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) की स्थापना की है। टीआरआई का रख रखाव राज्य सरकार द्वारा रखा जाता है। इसके अलावा, अपेक्स कमेटी ने राज्य सरकार की टीआरआई गतिविधियों के लिए सिफारिश की है। टीआरआई विभिन्न कार्य करते हैं जैसे अनुसंधान अध्ययन, मूल्यांकन अध्ययन, संगठन या प्रशिक्षण / संगोष्ठी / कार्यशाला, आदिवासी त्योहारों का संगठन, आधारभूत सर्वेक्षण, प्रकाशन, वृत्तचित्र / प्रलेखन, वर्षों से आदान-प्रदान यात्राओं आदि का आयोजन।

*****

अनुलग्नक-II

'शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देना ' के संबंध में श्री बसंत कुमार पांडा द्वारा दिनांक 02.12.2019 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2122 के भाग (क) से (ग) के उत्तर के संबंध में संदर्भित अनुलग्नक

पिछले पांच वर्षों के दौरान विद्यमान लाभार्थियों की स्कीम-वार सूची

इन स्कीमों के तहत उपाय, अन्य-जनजातियों के शैक्षिक विकास और कौशल प्रशिक्षण का समर्थन करता है। इस स्कीम के तहत उपाय मांग आधारित है और इनके लिए राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर निधियां प्रदान की जाती हैं, जो कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित और उसके बाद इस मंत्रालय में गठित एक परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) द्वारा मूल्यांकन और अनुमोदन के बाद प्रदान की जाती हैं। ये स्कीमें राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं और लाभान्वित होने वाले जनजातीय लोगों की संख्या राज्य सरकार के पास उपलब्ध रहती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) (ईएमआरएस सहित) के तहत अनुदान के तहत पिछले पांच वर्षों के दौरान ओडिशा को निर्मुक्त निधि, जनजातीय उप-स्कीम के लिए विशेष केंद्रीय सहायता और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास और विद्यमान लाभार्थियों का विवरण नीचे दिया गया है:

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	**स्कीम का नाम**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
1	अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान (ईएमआरएस सहित)	12728.22	15200.00	11954.96	15995.30	21449.15
2	जनजातीय उप-स्कीम को विशेष केन्द्रीय सहायता	14925.04	14728.52	11806.27	11975.00	17553.22
3.	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवटीजी) का विकास	2500.00	3373.92	1379.00	1297.00	3626.00
4.	जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) को समर्थन	305.50	250.30	322.39	662.90	819.07
5.	राष्ट्रीय / राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी / एसटीएफडीसी) को सहायता	8.00	0.50	-	-	-
6.	लघु वन उत्पाद (एमएफपी) को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास '	820.00	991.00	-	-	-
7	जनजातीय उत्पादों / उत्पादन के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता	138.30	148.13	-	-	-
8	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के बीच शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	265.08	1040.81	1929.41	1102.18	1013.56
9	अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	303.98	190.80	457.37	1168.97	2222.85

ओडिशा राज्य में लाभार्थियों की संख्या						
क्र.सं.	स्कीम का नाम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति की स्कीम-	130960	165100	176579	185888	196667
2	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की स्कीम	203301	221243	222837	211425	204916
3.	अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठन को सहायता अनुदान	480859 (2014-15 से 2018-19)				
4.	कम साक्षरता जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के बीच शिक्षा का सुदृढ़ीकरण					